# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

राजस्व वाद 50/2023 (2023/129)

1. दुर्गालाल पुत्र देवीलाल माली निवासी बघेरा तहसील केकड़ी जिला अजमेर ——प्रार्थी

♠ बनाम ♠

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर ——अप्रार्थी

**राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम**

**आदेश**

दिनांक 23.05.2023

पत्रावली आज प्रशासन गांवो के संग अभियान एवं महंगाई राहत शिविर केम्प कणोज में पेश हुई। प्रार्थी उपस्थित। पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी उपस्थित। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत वादवर्णित आराजीयात वाके ग्राम बघेरा तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है–

| खाता संख्या नया–पुराना | खसरा नम्बर | रकबा | किस्म |
|---|---|---|---|
| 567–572 | 2845 | 0.60 | चाही 1 |
| | 2624/2844 | 0.29 | चाही 1 |
| | कुल किता 2 | कुल रकबा 0.89 हैक्टर | |

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अनुसार प्रार्थी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 22.05.195 को भवानी सिंह पुत्र भंवर सिंह जाति राजपूत से पुराने खसरा नम्बर 1356 में से 05–10–00 आराजी खरीद की थी जिसके विक्रयपत्र का पंजीयन प्रार्थी के पक्ष में उपपंजीयन कार्यालय केकड़ी में पंजीबद्ध किया गया था। इमरोज क्रय दिनांक से वादवर्णित आराजीयात पर प्रार्थी का ही कब्जा काश्त निरंतर व निर्बाध रूप से चला आ रहा है तद्उपरान्त प्रार्थी ने उपरोक्त वर्णित आराजी खसरा नम्बर 1356 में से 00–100–00 आराजी जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 26.09.1995 को भवानी सिंह से खरीद कर मोके पर कब्जा प्राप्त किया था। विक्रयपत्र में वर्णित सीमाओं के अनुसार ही प्रार्थी काबिज काश्त है। प्रार्थनापत्र वर्णित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है जिसमें प्रार्थी का कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है। अन्य किसी व्यक्ति का वर्णित आराजी में हक अधिकार हिस्सा नही है। प्रार्थी की आराजीयात के लगवा ही अन्य खातेदारान की आराजी है जो प्रार्थी की आराजी की तरफ बढकर प्रार्थी की आराजी में जबरन कब्जा करना चाहते है। प्रार्थी द्वारा कई मरतबा निवेदन करने पर जब अन्य खातेदारान द्वारा प्रार्थी की आराजी व खुद की आराजी का सीमाज्ञान नही करवाया तब प्रार्थी प्रार्थनापत्र वास्ते सीमाज्ञान तहसीलदार केकड़ी के समक्ष प्रस्तुत किया। प्रार्थी की आराजी का सीमाज्ञान सही रूप से नही होने के कारण अन्य खातेदारान प्रार्थी की आराजीयात पर कब्जा कर काश्त करने पर आमादा है जिससे यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करना लाजमी आया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की उक्त आराजी की पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया हे।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी आज दोराने केम्प उपस्थित है। तहसीलदार केकड़ी को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पक्षकारान की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया। प्रार्थनापत्र वर्णित आराजी में प्रार्थी का नाम बतौर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी वाके ग्राम/कस्बा बघेरा तहसील केकड़ी की जमाबन्दी के खाता संख्या नया पुराना 567–572 में दर्ज खसरा संख्या 2845, 2624/2844 किता 2 कुल रकबा 0.89 हैक्टर की पत्थरगढी प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर प्रशासन गांवो के संग अभियान एवं महंगाई राहत शिविर केम्प कणोज में मजमे आम में सुनाया गया।

(विकास पचोली)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)